प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम : माननीय मुख्य न्यायमूर्ति श्री **राजीव गुप्ता** एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री **सुनील कुमार सिन्हा**

दाण्डिक अपील क्र. 975 /1991

जहूरलाल

बनाम

मध्यप्रदेश राज्य (वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य)

विचार हेतु **निर्णय**

विचारार्थ
सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति श्री राजीव गुप्ता

सही/-
मुख्य न्यायमूर्ति

निर्णय के लिए सूचीबद्ध :- 29/07/2010

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायमूर्ति

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम : माननीय मुख्य न्यायमूर्ति श्री **राजीव गुप्ता** एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री **सुनील कुमार सिन्हा**

दाण्डिक अपील क्र. 975 /1991

अपीलार्थी : जहूरलाल, आयु लगभग 19 वर्ष, निवासी सेमरिया, पुलिस थाना अहिवारा, जिला दुर्ग (म.प्र.) वर्तमान (छ.ग.)

बनाम

उत्तरवादी : मध्यप्रदेश राज्य (वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 (2) के अंतर्गत आपराधिक अपील)

उपस्थिति:

श्री आनंद प्रकाश शर्मा, अपीलार्थी की ओर से।

श्री अखिल मिश्रा, उप-शासकीय अधिवक्ता उत्तरवादी की ओर से।

निर्णय

(20/07/2010 को पारित)

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निर्णय **न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा** द्वारा सुनाया गया।

(1) अपीलार्थी- जहूरलाल को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 284/90 दिनांक 21.10.91 में धारा 302 एवं 201 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।

(2) संक्षेप में बताए गए तथ्य इस प्रकार हैं:- मृतक किशनलाल अपीलकर्ता का सगा भाई था। 9.11.89 को उसका शव गदाडीह गाँव में एक नदी के किनारे खुले स्थान पर अत्यधिक सड़ी-गली अवस्था में मिला था। गाँव के कोटवार पुरुषोत्तमलाल (अ.सा.-7) ने पुलिस को मामले की सूचना दी थी। पंचनामा तैयार किया गया था। शव के पास एक सोलापुरी चादर भी मिली थी। कुछ अन्य वस्तुएँ जैसे धोती और कपड़े, बीड़ी का एक बंडल, तंबाकू का एक पैकेट, एक कंघी, चप्पल और चादर के नीचे कुछ झड़े बाल भी पाए गए। जो विभिन्न वस्तु पाए गए उनके कारण शरीर की पहचान की जा सकी। अभियोजन पक्ष इस मामले के साथ आया कि मृतक और उसकी पत्नी हेमीन बाई (अ.सा.-9) बैल खरीदने के लिए आरंग गांव गए थे। अपीलकर्ता ने उनसे मुलाकात की और कहा कि अच्छे बैल उचित मूल्य पर धमधा गांव से खरीदे जा सकते हैं। उनकी सलाह पर, मृतक अपीलकर्ता के साथ गया और दोनों धमधा गांव जाने के लिए आरंग गांव से निकल गए। वे एक बस में सवार हुए। यह 18/19.10.89 की घटना थी। हेमिन बाई (अ.सा.-9) के साक्ष्य के अनुसार, मृतक उस तारीख से लापता था। अभियोजन पक्ष का आगे का मामला यह है कि दीपावली त्यौहार से 3-4 दिन पहले यानी 30.10.89 को मृतक को भुरवा (अ.सा.-1) ने गाड़ाडीह गांव में देखा था और उसके बाद उसे कभी जीवित नहीं देखा गया। सोलापुरी चादर की पहचान मृतक की पत्नी ने अपीलकर्ता के चादर के रूप में किया था। बाद में, अपीलकर्ता को हिरासत में ले लिया गया और उसकी निशानदेही पर एक चाकू जब्त किया गया। अभियोजन पक्ष का आगे का मामला यह है कि उसे छोड़ने के 20-25 दिन बाद मृतक की पत्नी अपने पति की तलाश में अपीलकर्ता के घर गई थी, लेकिन अपीलकर्ता गाँव में नहीं मिला। इसी आधार

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पर, अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोप-पत्र दायर किया गया। अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित था। निम्नलिखित परिस्थितियाँ हैं, जिनके आधार पर अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया गया:-

i. अपीलकर्ता का मानना था कि उसकी पत्नी की मृत्यु मृतक द्वारा किए गए जादू-टोने के कारण हुई थी, इसलिए, उसके पास मृतक को मारने का एक हेतु था;

ii. मृतक अपीलकर्ता के साथ ग्राम आरंग से ग्राम धमधा तक बैल खरीदने के लिए 5,000/- रुपए लेकर गया था;

iii. मृतक को भुरवा (अ.सा.-1) द्वारा गाड़ाडीह गांव में अपीलकर्ता और अन्य व्यक्तियों के साथ देखा गया था;

iv. शव के पास से एक सोलापुरी चादर जब्त की गई और उसकी पहचान मृतक के चादर के रूप में की गई;

v. अपीलकर्ता की निशानदेही पर एक चाकू जब्त किया गया।

vi. जब मृतक की पत्नी सेमरिया गांव (जहां अपीलकर्ता रहता था) गई तो अपीलकर्ता वहां नहीं मिला और अपीलकर्ता ने मृतक की पत्नी को मृतक के लापता होने की सूचना नहीं दी, जिससे अपीलकर्ता का आचरण संदिग्ध था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आनंद प्रकाश शर्मा ने तर्क दिया कि कोई भी परिस्थिति निर्णायक नहीं थे; वे पूरी तरह से सिद्ध नहीं थे; यदि उन्हें सिद्ध मान भी लिया जाए, तो भी यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अपीलकर्ता ने मृतक की हत्या की थी। अतः, दोषसिद्धि विधि विरुद्ध था।

(4) दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान उप शासकीय अधिवक्ता श्री अखिल मिश्रा ने इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

(5) हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है तथा सत्र मामले के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

(6) परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में, जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, वे पूरी तरह से स्थापित होनी चाहिए। इस प्रकार स्थापित परिस्थितियाँ केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के समर्थन में होनी चाहिए और किसी अन्य परिकल्पना के आधार पर उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए और उनमें सिद्ध की जाने वाली परिकल्पना के अलावा हर संभावित परिकल्पना को बाहर रखा जाना चाहिए और निष्कर्ष, परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि कोई भी उचित आधार न बचे, अभियुक्त की निर्दोषता का तथा यह दर्शाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कृत्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7) अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत के बारे में, यह सर्वविदित है कि अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत तब लागू होता है जब अभियुक्त और मृतक को अंतिम बार जीवित देखे जाने और मृतक के मृत पाए जाने के बीच का समय अंतराल इतना कम होता है कि अभियुक्त के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने की संभावना असंभव हो जाती है। कुछ मामलों में यह निश्चित रूप से स्थापित करना कठिन होगा कि क्या वास्तव में मृतक को अंतिम बार अभियुक्त के साथ देखा गया था, जब बीच में एक लंबा अंतराल हो और अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आने की संभावना हो। यह निष्कर्ष निकालने के लिए (किसी अन्य

सकारात्मक साक्ष्य के अभाव में कि) क्या वास्तव में अभियुक्त और मृतक को अंतिम बार एक साथ देखा गया था, ऐसे मामलों में दोष के निष्कर्ष पर पहुँचना अनुचित होगा।

(8) हेमिन बाई (अ.सा.-9) ने बयान दिया कि "अपीलकर्ता उनसे आरंग गांव में मिले और उसके बाद अपीलकर्ता मृतक और लाखन नाम के एक व्यक्ति के साथ धमधा जाने के लिए बस में सवार हुए। उनकी गवाही के आधार पर की गई गणना के अनुसार, यह 18/19 अक्टूबर, 1989 की तारीख थी। उन्होंने यह भी बयान दिया कि उनके पति के पास 5,000 रुपए थे। उन्होंने यह भी बयान दिया कि जब दीपावली के 20-25 दिन बाद भी उनके पति वापस नहीं लौटे तो वह अपीलकर्ता के घर सेमरिया गांव गई थीं लेकिन अपीलकर्ता अपने घर पर मौजूद नहीं था"। यह आखिरी बार एक साथ देखे जाने की परिस्थिति नहीं हो सकती, क्योंकि अभियोजन पक्ष के अनुसार, मृतक को भुरवा (अ.सा.-1) ने दीपावली से 4 दिन पहले गाड़ाडीह गांव में देखा था और उसके बाद उसे जीवित नहीं देखा गया। भुरवा (अ.सा.-1) ने गवाही दी कि दीपावली से चार दिन पहले तीन व्यक्ति उसकी चाय/पान की दुकान पर आए। वे कुछ मवेशियों के बारे में पूछ रहे थे। तीन व्यक्तियों में से, वह एक की पहचान तिसरीलाल के रूप में कर सका। अपनी गवाही के पैरा-3 में, उसने गवाही दी कि न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त भी उनमें से एक था। तीनों व्यक्ति उसकी दुकान में डेढ़-दो घंटे तक रुके और उसके बाद चले गए। उसकी गवाही से यह स्थापित नहीं हुआ कि तीसरा व्यक्ति, जिसे वह पहचान नहीं सका, वास्तव में मृतक था। इसलिए, अभियोजन पक्ष द्वारा हेमिन बाई (अ.सा.-9) या भुरवा (अ.सा.-1) की गवाही से यह स्थापित नहीं हो पाया कि उन्हें आखिरी बार एक साथ देखा गया था। भले ही अपीलकर्ता को मृतक के साथ दीपावली से 4 दिन पहले अंतिम बार देखा गया था जो कि 30.10.89 को था और उसका मृत शरीर 9.11.89 को पाया गया था, दोनों घटनाओं के बीच समय अंतराल लंबा था, इसलिए, यह

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निष्कर्ष निकालने के लिए किसी भी सकारात्मक सबूत के अभाव में कि अभियुक्त और मृतक को अंतिम बार एक साथ देखा गया था, उपरोक्त परिस्थिति के आधार पर अभियुक्त के अपराध के निष्कर्ष पर पहुंचना खतरनाक होगा।

(9) जहां तक शव के पास से सोलापुरी चादर जब्त करने की परिस्थिति का सवाल है, हमें संदेह है कि वास्तव में ऐसी जब्ती की गई थी। पुरुषोत्तमलाल (अ.सा.-7) गांव का कोटवार है। उसने अन्य ग्रामीणों के साथ शव को देखा था और उसके बाद ही संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। वह शव के पंचनामा, (प्रदर्श-पी/10) का भी गवाह है। अपने प्रतिपरिक्षण में उसने स्पष्ट रूप से बयान दिया है कि उसने मृतक के शव के पास कोई वस्तु नहीं देखी थी। चादर की पहचान कार्यपालक दंडाधिकारी आर.के. साहू (अ.सा.-4) ने की थी। उन्होंने बयान दिया कि मृतक की पत्नी ने चादर की पहचान करते हुए कहा कि यह अपीलकर्ताकी है। मृतक की पत्नी अपीलकर्ता की चादर की पहचान कैसे कर सकती है? यह एक स्वीकृत स्थिति है कि अपीलकर्ता और मृतक दोनों दो अलग-अलग गांवों में अलग-अलग रह रहे थे। अपीलकर्ता सेमरिया गांव में रहता था और मृतक गुल्लू गांव में रहता था। हमारी राय में, मृतक की पत्नी के लिए अपीलकर्ता के घर में इस्तेमाल की गई चादर आदि जैसी चीजों के बारे में जानना मुश्किल था। अभियोजन पक्ष ऐसी कोई अन्य परिस्थिति नहीं पेश कर पाया है जिससे पता चले कि हेमिन बाई (अ.सा.-9) को कभी अपीलकर्ता के कब्जे में चादर देखने का अवसर मिला था। इसलिए, शव के पास एक स्थान से चादर की जब्ती और उसकी पहचान दोनों ही संदिग्ध हैं और उपरोक्त परिस्थिति को अपीलकर्ता के खिलाफ साबित नहीं किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(10) जहाँ तक अपीलकर्ता के कहने पर चाकू की ज़ब्ती का सवाल है, इस मामले में यह कोई दोषपूर्ण परिस्थिति नहीं होगी। यह एक सामान्य चाकू था और इसे सभी की पहुँच वाली

खुली जगह से ज़ब्ती किया गया था और साक्ष्य में यह भी आया है कि यह बुरी तरह जंग लगा हुआ था, इसलिए अपीलकर्ता के कहने पर भी ऐसी ज़ब्ती अभियोजन पक्ष के लिए किसी काम की नहीं थी।

(11) मृतक की पत्नी ने बयान दिया कि जब वह अपीलकर्ता के घर गई थी, तो अपीलकर्ता वहाँ मौजूद नहीं था। यह अपने आप में अपीलकर्ता के प्रासंगिक आचरण के कारण कोई दोषपूर्ण परिस्थिति नहीं होगी। मृतक की पत्नी के घर आने के समय अपीलकर्ता की अनुपस्थिति के कई कारण हो सकते हैं। दूसरी परिस्थिति यह है कि अपीलकर्ता ने मृतक की पत्नी को मृतक के लापता होने की सूचना नहीं दी थी, जो कि न्यायालय द्वारा बिल्कुल भी सिद्ध नहीं हुई। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में यह बात नहीं आई कि मृतक कब अपीलकर्ता के साथ अलग हुआ और अपीलकर्ता को पता था कि मृतक लापता है। ऐसा कुछ भी अभिलेख में नहीं लाया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(12) अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों पर विचार करने पर, हम यह नहीं पाते कि उपरोक्त परिस्थितियाँ अपीलकर्ता के विरुद्ध पूर्णतः सिद्ध होतीं और वे केवल अपीलकर्ता के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप थीं। प्रत्येक परिस्थिति व्याख्या योग्य है। परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की नहीं हैं और सभी मानवीय संभावनाओं के आधार पर, उपरोक्त परिस्थितियों के आधार पर, यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्ता ही वह व्यक्ति था जिसने मृतक की हत्या की थी। उपरोक्त परिस्थितियों को मानने के लिए परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला भी मौजूद नहीं थी।

(13) उपरोक्त कारणों से, हम सत्र न्यायालय द्वारा दर्ज दोषसिद्धि के निष्कर्ष को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। सत्र न्यायालय ने यह मानकर विधिक त्रुटि की है कि अपीलकर्ता ने

मृतक की हत्या की है। इसलिए, सत्र न्यायालय द्वारा दी गई दोषसिद्धि को यथावत नहीं रखा जा सकता।

(14) परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। अपीलकर्ता को दी गई दोषसिद्धि और दण्डादेश निरस्त किए जाते हैं। उसे उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। यह कहा गया है कि अपीलकर्ता जमानत पर है। उसके जमानत बांड निरस्त किए जाते हैं और मुचलके यदि कोई हो तो वे उन्मोचित माने जाएंगे।

सही/- **सही/-**

मुख्य न्यान्यायाधिपती **सुनील कुमार सिन्हा**

न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by:- Gajendra Prakash Sahu